MP Industrial Development Corporation limited

MP INDUSTRIAL
DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED
(Government of Madhya Pradesh Undertaking)
Regional Office, Bhopal (M.P.)
(Formally known as MPAKVN (Bhopal)

क्र./एम.पी.आई.डी.सी.क्षेका.भो./भू–अर्जन/2020/2620-2629 दिनांक 21/05/2020

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक,
(भू–प्रबंध)
सतपुड़ा भवन,
मध्यप्रदेश, भोपाल

विषयः– **औद्योगिक क्षेत्र मण्डीदीप जिला रायसेन मे स्थित आरक्षित वन भूमि 16.268 हैक्ट. (40.20 एकड) के निर्वणीकरण प्रकरण मे भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं मौसम परिवर्तन मंत्रालय (एफ.सी.डिवीजन) नई–दिल्ली द्वारा दिनांक 02.11.2018 को जारी प्रथम चरण की सैद्धांतिक स्वीकृति के संबंध मे।**

महोदय,

औद्योगिक क्षेत्र मण्डीदीप के विस्तार हेतु ग्राम–सतलापुर, तहसील–गौहरगंज, जिला–रायसेन की वर्ष 1983 में उद्योग विभाग को हस्तांतरित शासकीय भूमि को अधिसूचना क्रमांक 2596–5047–10(2)–71 दिनांक 16.06.1972 के तहत धारा 20 में आरक्षित वन के तहत चिन्हित माना जाकर वन विभाग द्वारा वर्ष 2001 में सूचना दी गई थी।

2 दिनांक 21.03.2016 को अपर मुख्य सचिव, वन की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार 16.268 हेक्टैयर आरक्षित वन भूमि के निर्वणीकरण प्रस्ताव कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक(कक्ष भूप्रबंध)म.प्र. भोपाल के माध्यम से दिनांक 08.02.2018 को भारत सरकार, पर्यावरण, एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र भ.प्र. की ओर प्रेषित किये गये।

3 दिनांक 23.04.2018 को सम्पन्न क्षेत्रीय साधिकार समिति की बैठक में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा 197.855 हैक्ट. के निर्वणीकरण प्रकरण में दिनांक 20.12.2017 को दिये गये प्रथम चरण की स्वीकृति के परिप्रेक्ष्य में प्रक्रियाधीन प्रकरण M.O.E.F. नई दिल्ली को प्रेषित करने संबंधी निर्णय लिया गया। दिनांक 07.05.2018 को औद्योगिक क्षेत्र मण्डीदीप, जिला–रायसेन स्थित आरक्षित वनभूमि 16.268 हैक्टेयर के निर्वणीकरण प्रस्ताव सहपत्रों सहित M.O.E.F. नई दिल्ली को प्रेषित किये गये।

4 भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं मौसम परिवर्तन मंत्रालय (एफ.सी.डिवीजन) नई दिल्ली द्वारा दिनांक 02.11.2018 को औद्योगिक क्षेत्र मण्डीदीप, जिला–रायसेन स्थित आरक्षित वनभूमि 16.268 हैक्टेयर के निर्वणीकरण प्रस्ताव हेतु सशर्त प्रथम चरण की सैद्धांकित स्वीकृति प्रदाय की है। (संलग्नक – 1)

5 भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं मौसम परिवर्तन मंत्रालय (एफ.सी.डिवीजन) नई दिल्ली द्वारा पत्र दिनांक 02.11.2018 द्वारा जारी प्रथम चरण की सैद्धांतिक स्वीकृति मे अधिरोपित शर्तों का पालन–प्रतिवेदन निम्नानुसार है :–

2

1st Floor, Tawa Complex, Bittan Market, E-5, Arera Colony, Bhopal-16
Phone : (O) +917552420301-2-3
Website : www.mpakvnbhopal.nic.in, www.invest.mp.gov.in
e-mail : mpakvnbhopal@yahoo.co.in

CIN No.: U51102MP1977SGC001392
GSTIN: MPSIDC23AACCM6080D1ZU

**शर्त क्रमांक–2(v), 2(ix) 2(xii)** – शर्त के परिपेक्ष्य मे आवेदक विभाग के मांग के आधार पर कार्यालय, वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, दक्षिण सागर द्वारा पत्र क्रं. 412, दिनांक 07.03.2019 द्वारा ग्राम–खरखरी तहसीस–केसली, जिला–सागर की 16.500 हैक्ट. भूमि हेतु वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वृक्षारोपण योजना तैयार कर उक्त हेतु राशि रू. 1,75,46,622/– का निर्धारण किया गया।

**शर्त क्रमांक–2 (ii),(xi),(xii),(xiii)**– शर्त के परिपेक्ष्य मे आवेदक विभाग के मांग के आधार पर कार्यालय, वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, औबेदुल्लागंज द्वारा नेट प्रेजेन्ट वेल्यू रू. 1,52,75,652/– की राशि अधिरोपित की गई थी।

a. वित्त विभाग द्वारा बजट अनुमान 2019–2020 में योजना (5396) औद्योगिक क्षेत्र की भूमि के एवज में वृक्षारोपण हेतु सहायता मद में माह अगस्त–2019 में प्रावधानित राशि रू. 31,00,00,000/–का उल्लेख किया है, विवरण निम्नानुसार है :–

| क्रं. | योजना का नाम | वित्तीय वर्ष 2019–20 में प्रावधानित राशि | वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति हेतु प्रस्तावित राशि | रिमार्क |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (5396) औद्योगिक क्षेत्र की भूमि के एवज में वृक्षारोपण हेतु सहायता 011–2852–80–800–0101–5396–V–50–000 | रू. 31,00,00,000/– | रू. 30,60,12,504/– | नेट प्रेजेन्ट वेल्यू एवं वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना के भुगतान हेतु |

b. आवेदक संस्थान द्वारा प्रस्तुत मांग पत्र पर नोडल अधिकारी द्वारा दिनांक 13.05.2020 को राशि का सत्यापन कर आरक्षित वनभूमि 16.268 हैक्टेयर के निर्वनीकरण प्रस्ताव हेतु राशि रूपये 3,28,22,274/– के चालन जनरेट किये गये।

c. नेट प्रजेंट वेल्यू एवं वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना हेतु राशि रूपये 3,28,22,274/– का भुगतान चालान क्रमांक 607228 दिनांक 15.05.2020 द्वारा भारतीय स्टेट बैंक, शाखा, विन्ध्याचल भवन, भोपाल के माध्यम से आरटीजीएस द्वारा CAMPA फंड में एमपीआईडीसी भोपाल द्वारा जमा करायी गयी। (संलग्नक – 2)

**शर्त क्रमांक–2 (viii)** – शर्त के परिपेक्ष्य मे आवेदक विभाग के मांग के आधार पर वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध कराई गई ग्राम–खरखरी, तहसील–केसली, जिला–सागर की 16.500 हैक्ट भूमि का 1:50000 स्केल में सर्वे ऑफ इण्डिया की टोपोशीट में अनुरेखण किया गया। (संलग्नक–3)

**शर्त क्रमांक–2 (vi)** – शर्त के परिपेक्ष्य मे आवेदक विभाग के मांग के आधार पर न्यायालय कलेक्टर, सागर, जिला–सागर(म.प्र.) द्वारा प्रकरण क्रमांक–56 अ/19(3) वर्ष 2018–19 में दिनांक 02.03.2019 को पारित आदेश द्वारा निम्नानुसार भूमि म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959(यथा संशोधित अधिनियम 2018) की धारा 237(3) के तहत मद परिवर्तन करते हुए म.प्र. शासन वन विभाग को वृक्षारोपण हेतु म.प्र. शासन, राजस्व विभाग के परिपत्र क्रं. एफ 6–7/2013

भोपाल दिनांक 13 फरवरी 2013 में दिये गये प्रावधान अनुसार मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग को आरक्षित की गई :–

| क्रं. | ग्राम का नाम | प.ह. नं. | खसरा नं. | कुल रकबा (हे. में.) | आरक्षित रकबा (हे. में.) | मद | भूमि आरक्षित किये जाने का प्रयोजन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | खरखरी | 02 | 1/4 | 16.500 | 16.500 | म.प्र.औ.के.वि.नि.भो. को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आरक्षित दर्ज | म.प्र. शासन, वन विभाग को वृक्षारोपण हेतु । |

फार्म पी–II में वन विभाग के नाम पर दिनांक 03.05.2019 को प्रविष्टि कराकर, संशोधित अभिलेखों की प्रमाणित प्राप्त की गई।

उक्त भूमि अतिक्रमण से मुक्त होकर छोट एवं बडे झाड की भूमि इसमे सम्मिलित नही है। भूमि किसी अन्य परियोजना मे वृक्षारोपण हेतु मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विभाग निगम भोपाल (वर्तमान मे मध्यप्रदेश इण्डस्ट्रीयल डव्लपमेंट कॉर्पोरेशन लि. क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल) के अतिरिक्त किसी अन्य विभाग को आरक्षित/आवंटित नही की गई है। मध्यप्रदेश शासन वन विभाग मंत्रालय के ज्ञाप क्र. एफ–5–2/2010/10–3/774, दिनांक 26.05.2016 मे उल्लेखानुसार उक्त भूमि वर्तमान मे वन विभाग के आधिपत्य मे है। (संलग्नक – 4)

**शर्त कमांक 2 (xviii)** - शर्त मे उल्लेखानुसार कि व्यपवर्तित वनभूमि में स्थित वृक्षों की कटाई वन विभाग की देखरेख में की जावेगी, के परिप्रेक्ष्य में आवेदित क्षेत्र में वृक्ष विदोहन न होने के कारण उक्त मद में शून्य राशि का मांगपत्र प्रेषित किये जाने संबंधी कार्यवाही हेतु आवेदक विभाग द्वारा अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू–प्रबंध) सतपुड़ा भवन, भोपाल से दिनांक 27.11.2018 को निवेदन किया गया था।(संलग्नक – 5)

उक्त के आधार पर द्वितीय चरण कि सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदाय करने हेतु प्रकरण भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं मौसम परिवर्तत मंत्रालय (एफ.सी.डिवीजन) नई–दिल्ली को प्रेषित किया जाना निवेदित है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

**(कार्यकारी संचालक द्वारा अनुमोदित)**

**मुख्य महाप्रबंधक(भू–अर्जन)**

पृ. क्र./एम.पी.आई.डी.सी.क्षेका.भो./भू–अर्जन/2020/2620–2629 दिनांक 21/05/2020

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग, मंत्रालय।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, वन विभाग, मंत्रालय।
3. प्रबंध संचालक, एमपीआईडीसी, भोपाल।
4. कलेक्टर, रायसेन/सागर।
5. मुख्य वन संरक्षक, वन वृत भोपाल/सागर।
6. वन मण्डलाधिकारी सामान्य वन मण्डल औबेदुल्लागंज/दक्षिण सागर।

**मुख्य महाप्रबंधक(भू–अर्जन)**

F. No. 8-53/2009-FC (Vol.)
Government of India
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
(Forest Conservation Division)
****

Indira Paryavaran Bhawan
Aliganj, Jorbagh Road
New Delhi – 110 003
Dated 31 October, 2018
02nd November.

To,

The Principal Secretary (Forests),
Department of Forests & Environment,
Government of Madhya Pradesh,
Bhopal.

Sub: **Proposal for diversion of 16.268 ha. of forest land in favour of Industrial Center Development of Corporation, Bhopal for regularization of already existing Mandideep Industrial Area under Forest Division Obedullahganj District Raisen, Madhya Pradesh (Online Proposal No. FP/MP/IND/29027/2017) Reg.**

Sir,

I am directed to refer to the APCCF (Land Management) and Nodal Officer (FCA), Govt. of Madhya Pradesh letter No. F-5/819/2018/10-11/1312 dated 07.05.2018 for seeking prior approval of Central Government under Section-2 of the Forest (Conservation) Act, 1980. The proposal has been examined by the Forest Advisory Committee (FAC) constituted by the Central Government under Section of the aforesaid Act.

2. After careful consideration of the proposal of the State Government Madhya Pradesh and on the basis of the recommendations of the Forest Advisory Committee, the Central Government hereby agrees to accord *"In-principle"* approval under Section-2 of the Forest (Conservation) Act, 1980 for diversion of 16.268 ha. of forest land in favour of Industrial Center Development of Corporation Bhopal for regularization of already existing Mandideep Industrial Area under Forest Division Obedullahganj District Raisen, Madhya Pradesh, subject to the following conditions:-

(i) Legal status of the diverted forest land shall remain unchanged;

(ii) *The user agency shall pay the NPV and Penal NPV for entire area (100% NPV + 50% Penal NPV) as per the Ministry's guideline dated 29.01.2018.*

(iii) *Purpose wise breakup of forest land proposed for diversion shall be submitted in Stage-II approval.*

(iv) *The compliance report of conditions stipulated in the Stage-I approval letter dated 20.12.2017 for diversion of 197.93 ha shall be submitted before Stage-II approval of the instant proposal;*

(v) The Compensatory Afforestation shall be done over equivalent non-forest land (NFL) to the forest area proposed to be diverted for plantation in Village Kharkari of Sagar District Madhya Pradesh within a period of three

years with effect from the date of issue of Stage-II clearance and maintained thereafter in accordance with the approved plan in consultation with the State Forest Department at the cost of the user agency. At least 1000 saplings per hectares shall be planted over 16.268 ha. (16,268 plants). If this is not possible to plant these many seedlings in the identified NFL, the balance seedlings will be planted in degraded forest land as per the prescriptions of the Working Plan at the cost of the User agency. In such case CA cost will be revised and duly approved by competent authority and deposited in the account of Ad-hoc CAMPA of the concerned State through online e-portal only;

(vi) The non-forest land to be transferred and mutated in favour of the State Forest Department for raising Compensatory Afforestation shall be notified as reserved Forest under Section-4 or Protected Forest under Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 or under the relevant Section(s) of the local Forest Act. The Nodal officer must report compliance within a period of 1 month from the date of grant of final approval and send a copy of the notification declaring the non-forest land under Section 4 or Section 29 of the Indian Forest Act, 1927, or under the relevant section of the local Forest Act as the case may be, to this Ministry for information and record;

(vii) The State Government shall submit a certificate, that site for CA is suitable and free from all encroachments and other encumbrances, under the signature not below the rank of Nodal Officer (FCA) in the State Government;

*(viii)* The land identified for the purpose of CA shall be clearly depicted on Survey of India toposheet of 1:50,000 scale;

(ix) The User Agency shall provide additionally 25% of the CA cost towards Soil and Moisture Conservation measures in the proposed CA area as per site requirement and the said amount shall be deposit deposited in the account of Ad-hoc CAMPA of the concerned State through online e-portal only;

*(x)* The User Agency shall deposit the cost of raising and maintaining the compensatory afforestation at the current wage rate in the account of Ad-hoc CAMPA of the concerned State through online e-portal only. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years;

*(xi)* The User Agency shall deposit, the Net Present Value (NPV) of the forest land being diverted under this proposal, as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 28.03.2008, 24.04.2008 and 09.05.2008 in Writ Petition (Civil) No. 202/1995 and the guidelines issued by this Ministry vide

its letter No. 5-3/2007-FC dated 05.02.2009. The requisite funds shall be deposited in the account of Ad-hoc CAMPA of the concerned State through online e-portal only;

(xii) The user agency should ensure that the compensatory levies (CA cost, NPV etc.) are deposited through challan generated online on web portal and deposited in appropriate bank online only. Amount deposited through other mode will not be accepted as compliance of the Stage –I clearance;

(xiii) At the time of payment on the Net Present Value (NPV) at the then prevailing rate, the User Agency shall furnish an undertaking to pay the additional amount of NPV, if so determined, as per the final decision of the Hon'ble Supreme Court of India;

(xiv) The User agency shall obtain the Environment Clearance as per the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986, if required;

(xv) Layout plan of the proposal shall not be changed without the prior approval of the Central Government;

(xvi) No construction of buildings/labour camps/huts shall be allowed on the forest land;

(xvii) The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the proposal and under no circumstances be transferred to any other agency, department or person;

(xviii) Felling of tress on the forest land being diverted shall be reduced to the bare minimum and the trees should be felled under strict supervision of the State Forest Department;

(xix) State Government shall complete settlement of rights, in terms of the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006, if any, on the forest land to be diverted and submit the documentary evidence as prescribed by this Ministry in its letter No. 11-9/1998-FC (pt.) dated 03.08.2009 read with 05.07.2013 in support thereof;

(xx) The user agency shall provide alternate fuels to the labourers and the staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the nearby forest areas;

(xxi) Boundary of the forest land proposed to be diverted shall be demarcated on ground at the project cost, by erecting four feet high reinforced concrete

concrete pillars, each inscribed with its serial number, forward and back bearing, distance from pillar to pillar and GPS co-ordinates;

(xxii) Any other condition that the concerned Regional Office of this Ministry may stipulate, from time to time, in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife;

(xxiii) The user agency shall submit the annual self-compliance report in respect of the above conditions to the State Government, concerned Regional Office and this Ministry by the end of March of every year regularly; and

(xxiv) The user agency and the State Government shall ensure compliance to provisions of the all Acts, Rules, Regulations, Guidelines, relevant Hon'ble Court Order (s) and National Green Tribunal (NGT) Order(s), if any, pertaining to this project for the time being in force, as applicable to the project;

3. After receipt of the report on compliance to the conditions stipulated in the paragraph-2 above, from the State Government of Madhya Pradesh, final / stage-II approval for diversion of the proposed forest land under Section-2 of the Forest (Conservation) Act, 1980 will be issued by this Ministry. Transfer of the proposed forest land to the user agency shall not be effected by the State Government of Madhya Pradesh till final/stage-II approval for its diversion is issued by this Ministry.

Yours faithfully,

02/11/2018

(Shrawan Kumar Verma)
Dy. Inspector General of Forests (FC)

Copy to:-

1. The PCCF, Govt. of Madhya Pradesh, Bhopal.
2. The Addl. PCCF (Central), Regional Office (Western Zone), Bhopal.
3. The Nodal Officer FCA, 1980, Forest Department O/o PCCF, Govt. of Madhya Pradesh, Bhopal.
4. User Agency (General Manager of Industrial Center Development Corporation, Tawa Complex, Bittan Market, Bhopal).
5. Monitoring Cell, FC Division, MoEF & CC, New Delhi, for uploading.
6. Guard File.

02/11/2018

(Shrawan Kumar Verma)
Dy. Inspector General of Forests (FC)

संलग्न-2

AGENCY COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 13-05-2020

| | |
|---|---|
| Agency Name. | M.P. AUDYOGIK KENDRA VIKAS NIGAM BHOPAL |
| Application No. | 6729027215 |
| MoEF/SG File No. | 8-53/2009-FC VOL. |
| Location. | MADHYA PRADESH |
| Address. | Tawa Complex, First Floor,Bhopal |
| Amount(in Rs) | 32822274/- |

Amount in Words: Three Crore Twenty-Eight Lakh Twenty-Two Thousand Two Hundred and Seventy-Four Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

| | |
|---|---|
| Beneficiary Name: | MADHYA PRADESH CAMPA |
| IFSC Code: | CORP0000371 |
| Pay to Account No. | 150766729027215<br>Valid only for this challan amount. |
| Bank Name & Address: | Corporation Bank, Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003 |

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only
- This challan is valid only for seven days.

After making successful payment, User Agencies ma
Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

Ch. No. 607228 Dt. 15/05/20

MP Industrial Development Corporation Limited

Asstt. Manager (F&A)

भारतीय स्टेट बैंक-7242
विन्ध्याचल भवन शाखा, भोपाल
मोहन पारे
15 MAY 2020
अन्तरण/नगद भुगतान/जमा किया
PF Index No. 3347982

NRS 2020051500058940

AGENCY COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 13-05-2020

| | |
|---|---|
| Agency Name. | M.P. AUDYOGIK KENDRA VIKAS NIGAM BHOPAL |
| Application No. | 19969600598 |
| MoEF/SG File No. | NA |
| Location. | MADHYA PRADESH |
| Address. | Tawa Complex, First Floor,Bhopal |
| Amount(in Rs) | 273190230/- |

Amount in Words: Twenty-Seven Crore Thirty-One Lakh Ninety Thousand Two Hundred and Thirty Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

| | |
|---|---|
| Beneficiary Name: | MADHYA PRADESH CAMPA |
| IFSC Code: | CORP0000371 |
| Pay to Account No. | 1507619969600598<br>Valid only for this challan amount. |
| Bank Name & Address: | Corporation Bank, Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003 |

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only
- This challan is valid only for seven days.

After making successful payment, User Agencies r
Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

Ch. No. 607227
Dt. 15/05/20

Print

MP Industrial Development Corporation Limited

Asstt. Manager (F&A)

भारतीय स्टेट बैंक-7242
विन्ध्याचल भवन शाखा, भोपाल
मोहन पारे
15 MAY 2020
अन्तरण/नगद भुगतान/जमा किया
PF Index No. 3347982

SBINR52020051500058904

SHOT ON REDMI 7
AI DUAL CAMERA
2020/5/15 14:38

संलग्न -4

# न्यायालय कलेक्टर सागर, जिला सागर (म.प्र.)

प्रकरण क- 56 अ/19(3) वर्ष 2018-19
मौजा- खरखरी, भरदी, बम्होरी, घाना
प.ह.नं. 02,. 01, 06, 37
तहसील केसली जिला सागर (म.प्र.)

प्रबंध संचालक,
म.प्र.औद्योगिक केन्द्र विकास निगम
भोपाल (म.प्र.)

.................... आवेदक

विरूद्ध

म.प्र.शासन

.................... अनावेदक

!! आदेश !!

(पारित दिनांक 2 /3/2019)

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि मुख्य महा प्रबंधक, म.प्र.औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, भोपाल (म.प्र.) द्वारा तहसील केसली को प्रेषित पत्र कमांक-औ.के.वि.नि. भोपाल/भू-अर्जन/2016/7419 दिनांक 09.10.18 में औद्योगिक क्षेत्र मंडीदीप जिला रायसेन स्थित संरक्षित एवं आरक्षित वन भूमि के निर्वणीकरण प्रस्ताव में तहसील केसली जिला सागर के ग्राम खरखरी, भरदी, बम्होरी, एवं घाना की भूमि बैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को हस्तांतरित किया जाना प्रस्तावित किया गया।

प्राप्त प्रस्ताव पर तहसीलदार केसली का प्रकरण कमांक-43 बी/121 वर्ष 18-19 ग्राम खरखरी, भरदी, बम्होरी, एवं घाना अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी के माध्यम से प्राप्त हुआ जिसमें प्रतिवेदित किया गया कि प्राप्त प्रस्ताव पर प्रकरण दर्ज किया गया। ग्रामों में इश्तहार जारी आपत्तियां आमंत्रित की गई। राजस्व विभाग/वन विभाग/म.प्र.औद्योगिक केन्द्र विकास निगम से संयुक्त स्थल निरीक्षण कराया गया एवं संबंधित ग्राम पंचायत को पत्र भेजकर उनका अभिमत मंगाया गया एवं पटवारी प्रतिवेदन लिया गया।

तहसीलदार केसली द्वारा अपने प्रतिवेदन दिनांक 02.01.19 में प्रतिवेदित किया गया कि ग्राम में इश्तहार के जारी होने उपरांत कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। म.प्र.औद्योगिक विकास निगम भोपाल के प्राधिकृत अधिकारी की ओर से प्रकरण में उक्त आवेदित भूमि को वनीकरण हेतु एम.पी.ट्राईफेक को भूमि आवंटित किये जाने के संबंध में न्यायालय कलेक्टर सागर के राजस्व प्रकरण कमांक-14 अ/19(3) वर्ष 16-17 में पारित आदेश दिनांक 03.05.17 की प्रति एवं म.प्र.शासन वन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र कमांक-एफ 5-2/2019/10-3 भोपाल दिनांक 26.05.16 की छायाप्रति व अन्य दस्तावेजों की छायाप्रति पेश की गई जो कि संलग्न प्रकरण की गई। आवेदित भूमि संबंधी खसरा व नक्शा प्रति प्रकरण में संलग्न है। ग्राम पंचायतों से अभिमत मंगाये जाने पर संबंधित ग्राम पंचायतों द्वारा न तो अभिमत दिया गया ओर न हीं आपत्ति पेश की गई। संयुक्त स्थल जांच का पंचनामा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। पंचनामा अनुसार आवेदित भूमि अतिक्रमण से मुक्त है। आवेदित भूमि में छोटे व बडे झाड की भूमि सम्मिलित नहीं है। भूमि का वैधानिक स्वरूप खसरा पी.2 के अनुसार शासकीय दर्ज है। अतः राजस्व प्रकरण कमांक-14 अ/19 (3) वर्ष 16-17 में पारित आदेश दिनांक 03.05.17 के आधार पर ग्राम खरखरी की भूमि ख.नं. 1 रकवा 16.50 हे., ग्राम भरदी की भूमि ख.नं. 61, 79, 82, 85, 88 रकवा 90.62 हे., ग्राम बम्होरी की भूमि ख.नं. 312/1 रकवा 62.00 हे., एवं ग्राम घाना की भूमि ख.नं. 411 रकवा 45.00 हे. जो कि म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम भोपाल को आवंटित की गई है को वन मंडल दक्षिण वन मंडल सागर को हस्तांतरित किये जाने हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी के माध्यम से प्रेषित है। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी द्वारा तहसीलदार केसली के प्रतिवेदन दिनांक 02.01.19 से सहमत होकर वन विभाग को हस्तांतरित किय जाने की अनुशंसा की है।

P.T.O.

सागर

अतः तहसीलदार केसली/अनुविभागीय अधिकारी (रा.) देवरी के प्राप्त प्रस्ताव से सहमत होकर मौजा ग्राम खरखरी, भरदी, बम्होरी, एवं घाना तहसील केसली जिला सागर में स्थित निम्नानुसार भूमि :–

| स. क. | ग्राम का नाम | पटवारी हल्का नं. | ख0नं0 | कुल रकवा (हे.में) | आरक्षित रकवा (हे.में) | मद | भूमि आरक्षित किये जाने का प्रयोजन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | खरखरी | 02 | 1/4 | 16.50 | 16.50 | म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम भोपाल को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आरक्षित दर्ज है। | म.प्र.शासन वन विभाग को वृक्षारोपण हेतु। |
| 02 | भरदी | 01 | 61,79, 82,85, 88/3 | 90.62 | 90.62 | | |
| 03 | बम्होरी | 06 | 312/9 | 62.00 | 62.00 | | |
| 04 | घाना | 37 | 411/3 | 45.00 | 45.00 | | |
| कुल योग– | | | | 214.12 | 214.12 | | |

को म.प्र.भू–राजस्व संहिता 1959 (यथा संशोधित अधिनियम 2018) की धारा 237(3) के तहत मद परिवर्तन करते हुए म.प्र.शासन वन विभाग को वृक्षारोपण हेतु म.प्र.शासन राजस्व विभाग के परिपत्र कमांक–एफ 6–7/2013/सात /2 बी भोपाल दिनांक 13 फरवरी 2013 में दिये गये प्रावधान अनुसार म.प्र.शासन वन विभाग को आरक्षित की जाती है।

उक्त भूमि के आरक्षित से ग्राम का आम निस्तार का रकवा अप्रभावित रहेगा। आरक्षित भूमि का नियत प्रयोजन में उपयोग न होने पर पूर्ण अथवा आंशिक भूमि वापिस ली जा सकेगी।

(प्रीति मैथिल नायक)
कलेक्टर
जिला–सागर

पृ0क0/1386/री0कले0/2019 सागर दिनांक02/03/2019

**प्रतिलिपिः–**

1– सचिव म.प्र.शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल (म.प्र.)
2– सचिव, म.प्र.शासन वन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल (म.प्र.)
3– प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश भोपाल (म.प्र.)
4– प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन उद्योग निती एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग मंत्रालय भोपाल (म.प्र.)
5– प्रबंध संचालक, एम.पी.ट्राइफेक, भोपाल (म.प्र.)
6– प्रबंध संचालक, म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम भोपाल
7– अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) मध्यप्रदेश, भोपाल
8– मुख्य वन संरक्षक, सागर वृत्त सागर मध्यप्रदेश
9– अनुविभागीय अधिकारी देवरी, जिला सागर को मूल प्रकरण सहित पटवारी अभिलेख दुरूस्ती कराये जाने हेतु एवं संबंधित विभाग को भूमि का अधिपत्य दिलाये जाने का पंचनामा एवं संशोधित अभिलेख की प्रमाणित प्रतिलिपि सहित प्रकरण इस न्यायालय को भेजें।
10– वन मण्डल अधिकारी (सा.) वन मण्डल उत्तर/दक्षिण सागर, (म.प्र.)
11– तहसीलदार केसली, जिला सागर को आदेशानुसार कार्यवाही हेतु।

कलेक्टर
जिला–सागर

मध्य प्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख
फार्म पी -II
खसरा

सी. एल. आर. न. :111008010000200300089

| ग्राम:खरखरी | | हल्का :02 मोहासा | | रा.नि.म. :01 केसली | | तहसील :केसली | | जिला :सागर | | वर्ष: 2018-2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्रमांक | क्षेत्रफल (और यदि भूमि खातो मे सम्मिलित न हो तो उसका वर्णन) | कब्जेदार का नाम, उसके पिता का या पति का नाम तथा निवास स्थान, अधिकार जिसके अन्तर्गत भूमि धारण की गई हो और देय राजस्व का लगान | किसी भूमिस्वामी या पट्टेदार का या किसी मौरूसी काश्तकार के उप पट्टेदार का नाम, पिता का नाम, लगान या पट्टे की रकम और उप-पट्टे पर दिए गये भाग का क्षेत्रफल | खाते की भूमि — क्षेत्रफल जिसमे वर्ष के दौरान में फसल उगाई गई | | | पड़ती का क्षेत्रफल | | | खाते के बाहर के क्षेत्रो मे बोई गई फसल का नाम तथा क्षेत्रफल | कैफियत |
| | | | | फसल का नाम | क्षेत्रफल | दुफसली क्षेत्रफल | चालू वर्ष की पड़ती | 2 से 5 वर्ष तक की पड़ती | अन्य पड़ती अर्थात 5 वर्ष से अधिक | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1/4 | 16.500 0 | (शासकीय) | | | | | | | | 16.500 0 | (श्रीमान कले.महो.सागर के रा.प्र.क्र 19अ/19(3) वर्ष 2016-17 आदेश दिनांक . 03 -05-2017 के अनुसारवैकल्पिक वृक्षारोपड हेतु म.प्र. औघोगिकी केन्द्र विकास निगम भोपाल को आबंटित) म.प्र. शासन वन विभाग को वृक्षारोपण वनीकरण हेतु आरक्षित,न्यायलय श्रीमान कलेक्टर महोदय सागर के राजस्व प्रकरण क्रमांक 56 / अ- 19 3 वर्ष 2018-19 के आदेश दिनांक 02/03/2019 के अनु |

03 MAY 2019

सत्यप्रतिलिपि
तहसीलदार
केसली जि. सागर

Digitally signed by DS COMMISSIONER LAND RECORDS AND SETTLEMENT MADHYA PRADESH 01
Date: 2019.05.03 15:56:34 IST
Reason: Digital Extract of Land Record - Khasra Copy
CLR No. : 111008010000200300089